



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/809

20.01.2026

को,

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत पूर्व और पश्चात निर्यात ऋण पर ब्याज सस्मिडी – निर्यात प्रोत्साहन**

**प्रसंग संख्या। आरबीआई/2025-26/195 दिनांक 19 तारीख जनवरी 2026**

भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के तहत पूर्व और पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सस्मिडी योजना की घोषणा पायलट आधार पर की है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा व्यापार सूचना संख्या 20/2025-26 दिनांक 2 जनवरी, 2026 तथा व्यापार सूचना संख्या 22/2025-26 दिनांक 16 जनवरी, 2026 के माध्यम से जारी योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालन निर्देश संलग्न हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को योजना के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा नियामक निर्देशों के अनुपालन में पात्र निर्यातकों को ब्याज सस्मिडी का लाभ देना आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड के लिए उपलब्ध मूल परिपत्र देखें।

[https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/20260120125934.pdf](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260120125934.pdf)

**व्यापार सूचना संख्या 20/2025-**

**26:** [https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/20260105115534.pdf](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260105115534.pdf)

**व्यापार सूचना संख्या 22/2025-**

**26:** [https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/20260120122638.pdf](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260120122638.pdf)

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त बातों पर ध्यान दें।

साभार,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल